न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा
पीठासीन अधिकारी अरविन्द शर्मा, आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण संख्या 01/2025

उनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महवा जिला दौसा।

बनाम

1. नारायणदास चेला रामकुवारदास जाति स्वामी निवासी टुडियाना तहसील महवा जिला दौसा ।

(रेफरेन्स अर्न्तगत धारा 82 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956
सहपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

उपस्थिति : 1. श्री राजेश शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

:–निर्णय:– दिनांक 13.01.2026

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मुताबिक खतौनी भूमि एकीकरण ग्राम दुल्हापुरा संवत् 2020 के अनुसार खसरा नं. 190/1 रकबा 19 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं. 190/10 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 22 बीघा 09 बिस्वा माफी मंदिर श्री सीताराम जी घाटा टुडियाना निचला बनाम नारायणदास चेला रामकुवार घाटा टुडियाना के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी। मिसल बन्दोबस्त ग्राम दुल्हापुरा संवत् 2050 से 2069 एवं मिलान क्षेत्रफल के अनुसार उक्त भूमि साबिक ख.न.190/10 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा नवीन ख.न. 654 रकबा 0.08 है., 655 रकबा 0.35 है., 656 रकबा 0.31 है., कुल किता 03 रकबा 0.74 है., साबिक खसरा नं0 190/1 रकबा 19 बीघा 11 बिस्वा के नवीन खसरा नं. 705 रकबा 0.44 है. 706 रकबा 1.23 है., 707 रकबा 0.33 है., 708 रकबा 0.25 है., 710 रकबा 0.20 है., 711 रकबा 0.30 है., 712 रकबा 0.26 है., 713 रकबा 0.35 है. 716 रकबा 0.35 है., 717 रकबा 0.36 है., 718 रकबा 0.55 है., 719 रकबा 0.13 है., 720 रकबा 0.13 है. 721 रकबा 0.06 है. कुल किता 14 रकबा 4.94 है. का खातेदार नारायणदास चेला रामकुवारदास ग्राम टुडियाना है।

वर्तमान जमाबंदी ग्राम दुल्हापुरा संवत 2072–75 (वर्ष 2020) के अनुसार ख.न. 654/0.08, 655/0.35, 656/0.31, 705/0.44, 706/1.23, 707/0.33, 708/0.25, 710/0.20, 711/0.30, 712/0.26, 713/0.35, 716/0.35, 717/0.36, 718/0.55, 719/0.13, 720/0.13, 721/0.06 कुल किता 17 रकबा 5.68 है. की खातेदारी नारायणदासचेला रामकुवारदास जाति स्वामी निवासी ग्राम टुडियाना के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रतिवादी नारायणदास चेला रामकुवारदास जाति स्वामी निवासी टुडियाना तहसील महवा का नाम ग्राम दुल्हापुरा की जमाबंदी से विलोपित करने योग्य है। वर्तमान ऑनलाईन जमाबंदी के खाता संख्या 74 में वर्णित भूमि की खातेदारी निरस्त कर मूर्ति मंदिर श्री सीतारामजी घाटा टुडियाना के नाम पूर्ववत करने हेतु सरकार की ओर से तहसीलदार महवा द्वारा यह रेफरेन्स न्यायालय में भिजवाया गया है।

रेफरेन्स प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलबी अप्रार्थी की गई। अप्रार्थी को तलबी हेतु जारी रजिस्टर्ड नोटिस लौट कर प्राप्त नही हुआ और न ही अप्रार्थी उपस्थित हुआ। उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस राजकीय अधिवक्ता सुनी गयी ।

13.1.2026

अति. जिला कलक्टर
दौसा

Scanned with OKEN Scanner

बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम दुल्हापुरा तहसील महवा स्थित भूमि खसरा नं. 190/1 रकबा 19 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं. 190/10 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 22 बीघा 09 बिस्वा संवत् 2020 में माफी मंदिर श्री सीताराम जी घाटा टुडियाना निचला बनाम नारायणदास चेला रामकुवार घाटा टुडियाना के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी। मिसल बन्दोबस्त ग्राम दुल्हापुरा संवत् 2050 से 2069 एवं मिलान क्षेत्रफल के अनुसार उक्त भूमि साबिक ख.न. 190/10 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा नवीन ख.न. 654 रकबा 0.08 है., 655 रकबा 0.35 है., 656 रकबा 0.31 है., कुल किता 03 रकबा 0.74 है., साबिक खसरा नं0 190/1 रकबा 19 बीघा 11 बिस्वा के नवीन खसरा नं. 705 रकबा 0.44 है. 706 रकबा 1.23 है., 707 रकबा 0.33 है., 708 रकबा 0.25 है., 710 रकबा 0.20 है., 711 रकबा 0.30 है., 712 रकबा 0.26 है., 713 रकबा 0.35 है. 716 रकबा 0.35 है., 717 रकबा 0.36 है., 718 रकबा 0.55 है., 719 रकबा 0.13 है., 720 रकबा 0.13 है. 721 रकबा 0.06 है. कुल किता 14 रकबा 4.94 है. कुल किता 17 रकबा 5.68 है. भूमि नारायणदास चेला रामकुवारदास ग्राम टुडियाना के नाम खातेदारी दर्ज है। जमाबंदी ग्राम दुल्हापुरा संवत 2072–75 (वर्ष 2020) के अनुसार ख.न. 654/0.08, 655/0.35, 656/0.31, 705/0.44, 706/1.23, 707/0.33, 708/0.25, 710/0.20, 711/0.30, 712/0.26, 713/0.35, 716/0.35, 717/0.36, 718/0.55, 719/0.13, 720/0.13, 721/0.06 कुल किता 17 रकबा 5.68 है. की खातेदारी नारायणदासचेला रामकुवारदास जाति स्वामी निवासी ग्राम टुडियाना के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। माफी मंदिर की भूमि को मंदिर के नाम से हटाकर अन्य की खातेदारी में दर्ज करना अवैध व नियम विरूद्ध है। अतः माफी मंदिर की भूमि को वापिस माफी मंदिर के नाम दर्ज करवाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में भिजवाने के आदेश प्रदान करे ।

राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। विवाद ग्रस्त भूमि पूर्व मे माफी मंदिर श्री सीताराम जी घाटा टुडियाना निचला बनाम नारायणदास चेला रामकुवार घाटा टुडियाना के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी। संवत् 2050 से 2069 एवं मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खातेदारी नारायणदास चेला रामकुवारदास ग्राम टुडियाना दर्ज कर दी गयी। ऐसी स्थिति में विवादग्रस्त आराजी की खातेदारी माफी मंदिर श्री सीताराम जी घाटा टुडियाना के नाम दर्ज करवाने हेतु प्रकरण राजस्व मण्डल अजमेर को रेफर किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। विवादग्रस्त आराजी की पूर्व स्थिति कायम किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को पेश करने हेतु मूल पत्रावली तहसीलदार महवा को भिजवाकर निर्देशित किया जाता है कि राजकीय अभिभाषक न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से सम्पर्क कर प्रकरण न्यायालय में दर्ज करवावें एवं प्रकरण में समय पर समुचित पैरवी करना सुनिश्चित करें। पत्रावली तहसीलदार महवा को भिजवाई जावे व फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

13.1.2026

(अरविन्द शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर दौसा

निर्णय आज दिनांक 13.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

13.1.2026

(अरविन्द शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर दौसा

Scanned with OKEN Scanner